upload in Website

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन–0755–2543175,2737341
E-mail : mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in
website : www.mpwaqfboard.org

क. /आर–जबलपुर/2019 / 1110 to 1125 भोपाल दिनांक 26-02-19

कारण बताओ सूचना पत्र
(अंतर्गत धारा 67(2) वक्फ अधिनियम 1995)

प्रति

S.Post. 1. श्री अनवर हुसैन आ0 इम्तियाज़ हुसैन,अध्यक्ष वक्फ अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल जबलपुर, म.न. 1485/4 सरस्वती कालोनी बेरीताल जबलपुर

S.Post. 2. श्री नसीम बैग आ0 मो.जमील बैग, उपाध्यक्ष, म.न. 353,गीता भवन छोटी ओमती जबलपुर

S.Post. 3. श्री कादिर जमाल आ0 अब्दुल वहाब,उपाध्यक्ष, म.न. 652 गढ़ा बाजार जबलपुर

S.Post. 4. श्री मकसूद खान आ0 इब्राहिम खान,सचिव, म.न. 104 साउथ सिविल लाईन समदडिया काम्प्लेक्स जबलपुर

S.Post. 5. कु. बख्तावर आ0 इस्माईल खान,सह सचिव, म.न. 182 नालबंद मोहल्ला जबलपुर

S.Post. 6. श्री ए.ए.कुरैशी आ0 मुमताज अहमद कुरैशी. कोषाध्यक्ष, म.न. 614,गली न. 12 सदर बाजार जबलपुर

S.Post. 7. श्री सै. मुबस्सिर अली आ0 सै. लियाकत अली, सदस्य, म.न. 263/1 नया मोहल्ला जबलपुर

S.Post. 8. श्री हारून जावेद सौदागर आ0 हाजी मो.इबबाल, सदस्य, म.न. 850 विश्राम ते गली कमानिया गेट जबलपुर

S.Post. 9. श्री शौकत अली आ0 हाजी मो. अली, सदस्य, म.न. 1531 काजी मोहल्ला दुर्गावती वार्ड गढ़स जबलपुर

S.Post. 10. श्री सरदार अली कादरी आ0 आशिक अली कादरी, सदस्य, म.न. 1859 मुजाबर मोहल्ला गढ़ा जबलपुर

S.Post 11. सै.मकबूल अली आ0 सै. मकसूद अली कादरी, सदस्य, म.न. 1708 मुजाबर मोहल्ला गढ़ा जबलपुर

एतद् द्वारा आप अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण को इस नोटिस जरिये सूचित किया जाता है कि वक्फ अंजुमन इस्लामिया जबलपुर के विरूद्ध म.प्र. वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ आडिटर के नेतृत्व मे गठित जांच दल ने अपनी जांच प्रतिवेदन में वक्फ अंजुमन इस्लामिया के प्रबंधन द्वारा की जा रही आर्थिक दुर्निवियोग,वित्तीय अनियमितताओं, गबन कर पद का दुरूपयोग वक्फ को हानि/क्षति पहुचाई लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाना, वक्फ सम्पत्ति पटटा नियम 2014 के प्रावधानों के परे जाकर स्वेच्छरितापूर्वक मनमाने ढंग से किरायेदारो से सांठ गांठ कर वक्फ की अचल सम्पत्ति को किरायेदारी निष्कासित किये जाने के गंभीर मामले प्रकाश मे आये है।

आपके नियम विरूद्ध निम्न अवैध/अकृत्य कदाचरण तथा आपराधिक कृत्य सामने आये है।

दसतावेजो के आधार पर जिनका विस्तृत विवरण बिन्दुवार निम्नानुसार है:–

O/C

बिन्दु क्रमाक–1

अंजुमन इस्लामिया गोहलपुर कॉलेज ग्राउण्ड पूर्व कार्यपालन अधिकारी बोर्ड द्वारा समाचार विज्ञप्ति/ओपन टेण्डर पश्चात विधिवत दिनांक 04.08.18 को किरायेदारी अनवर हुसैन आत्मज अब्दुल सत्तार से एग्रीमेन्ट की शर्तों अनुसार रूपये 25,88,888/–(पच्चीस लाख अट्ठासी हज़ार आठसौ अट्ठासी) मे ग्राउण्ड 11 माह के लिये दिया गया था। टेण्डर की राशि निम्न केनरा बैंक के चैक द्वारा प्राप्त की गई थी।

1 चैक क्रमांक 020911 दिनांक 01.08.2018 रूपये 6,50,000/–

2 चैक क्रमांक 020912 दिनांक 01.11.2018 रूपये 6,50,000/–

3 चैक क्रमांक 020913 दिनांक 01.02.2019 रूपये 6,50,000/–

4 चैक क्रमांक 020914 दिनांक 01.04.2019 रूपये 6,38,888/–

उपरोक्त किरायेदार द्वारा जमा किये गये चार चैकों मे निम्न दो चैक से वक्फ अंजुमन की लेखा शाखा मे जमा नही पाये गये।

1 चैक क्रमांक 020913 दिनांक 01.02.19 रूपये 6,50,000/– (छः लाख पचास हज़ार)

2 चैक क्रमांक 020914 दिनांक 01.04.2019 रूपये 6,38,888/– (छः लाख अढ़तीस हज़ार आठसौ अट्ठासी)

इस संबंध मे जांच दल द्वारा श्री अनवर हुसैन अध्यक्ष से मौखिक एवं लिखित मे स्पष्टीकरण चाहा गया, परन्तु उपरोक्त चैक प्राप्त की जानकारी नही दी गई बहानेबाज़ी और टालमटोल की जाती रही। जिसके पश्चात अकाउन्ट से मौखिक पूछा गया तो उन्होने बताया कि उपरोक्त दोनों चैक अध्यक्ष अनवर हुसैन द्वारा बलपूर्वक पद का प्रभाव दिखा कर लेखा शाखा से छीने लिये गये है।

पुनः अध्यक्ष से जब उपरोक्त चैकों के बारे मे जानकारी चाही गई तो अध्यक्ष के द्वारा उपराक्त चैक लेखा शाखा के अकाउन्टेंट को दिनांक 22.02.2019 को मूलतः जांच दल के सामने यह कह कर कि **''किरायेदार को 6 करोड़ का घाटा हो गया है। इसलिये चैक बैंक मे लगाने से कोई फायदा नही है।** इसके अतिरिक्त अंजुमन अध्यक्ष अनवर हुसैन द्वारा ठेकेदार को 15 दिवस की ओर मोहलत अनुबंध से हटकर मनमर्ज़ी से प्रदान की गई।''

वक्फ सम्पत्ति के अनुबंध समाप्त होने के पश्चात किरायेदार द्वारा दिये गये चैकों को वक्फ अंजुमन के खाते मे जमा करने के बजाये श्री अनवर हुसैन अध्यक्ष द्वारा स्वयं अपने अनाधिकृत अधिपत्य मे रखना पद का दुरूपयोग तथा उनकी बदनीयती का घोतक है।

अध्यक्ष द्वारा चैको को जमा न कराकर **वक्फ अंजुमन इस्लामिया के कोष को रूपये 6,50,000/–(छःलाख पचास हज़ार) की आर्थिक हानि पहुंचाई है।** वक्फ अध्यक्ष के इस कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा जान बुझकर कर ठेकेदार को फायदा पुहंचाया गया है तथा वक्फ कोष को हानि पहुंचाई गई है।

वक्फ अंजुमन अध्यक्ष के आचरण से संदेह उत्पन्न होता है कि दिनांक 01.04.2019 रूपये 6,38,888/–(छःलाख अढ़तीस हज़ार आठसौ अट्ठासी) भी वक्फ के खाते में नही डालने की नीयत से ही अपने अवैध कब्ज़े मे रखा गया इस प्रकार **बेईमानी कपटपूर्वक स आशय ठेकेदार के साथ उसे**

अनुचित लाभ पहुंचाने के उददेश्य से ऐसा आपराधिक कृत्य श्री अनवर द्वारा किया गया जो आपराधिक न्यासभंग की श्रेणी मे आता है। ऐसे व्यक्तियों का वक्फ मे रहना उचित नही है।

वक्फ अंजुमन के किराये के रूप मे प्राप्त राशि का नया खाता पंजाब नेशनल बैंक में खोला गया तथा दिनांक 06.11.2018 को रूपये 25,00,000/– (पच्चीस लाख) की एफ.डी. क्रामंक 44136 के द्वारा एक वर्ष हेतु एफ.डी बनवाई गई। दिनांक 01.11.2018 को एफ.डी क्रमांक 50489 रूपये **60,00,000/–(साठ लाख) एक वर्ष** के लिए एफ.डी बनाई गई इसी प्रकार दिनांक 07.01.2019 को रूपये 25,00,000/–(पच्चीस लाख) की एफ.डी. क्रमांक 0217000 बनाई गई। इस प्रकार **कुल राशि 1,10,00,000/–(एक करोड़ दस लाख) की एफ.डी** बनाई गई।

वक्फ अंजुमन की विभिन्न बैंको में कुल 38 एफ.डी है प्राप्त सूची मे अध्यक्ष श्री अनवर हुसैन के कार्य दिनांक 01.8.2018 से पूर्व कोई भी एफ.डी पंजाब नेशनल बैंक में नही थी। श्री अनवर हुसैन अध्यक्ष वक्फ अंजुमन इस्लामिया की पत्नी **पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत है**। वक्फ अंजुमन की राशि को पंजाब नेशनल बैंक में एफ.डी कराना अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करने तथा अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाने के लिए संदेह उत्पन्न करता है। यह आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आता है। यह पदीय हैसियत का दुरूपयोग है।

बिन्दु क्रमांक–2

वक्फ शॉपिंग सेन्टर मढ़ाताल भवन प्रथम एवं द्वितीय तल का रकबा 5601 वर्गफिट स्टेट बैंक आफ इन्दौर की किरायेदारी एग्रीमेन्ट अनुसार 65000/–(पेसठ हज़ार) प्रतिमाह किराये पर दिनांक 01/04/2015 से दिनांक 31.03.20 तक था स्टेट बैंक इंदौर बैंक शाखा का पत्र क्रमांक 2018–19/JAN/09/1 दिनांक 9.01.19 के अनुसार बैंक दिनांक 23.02.19 को शाखा हस्तांतरण करने का उल्लेख करते हुये पुराने एग्रीमेन्ट को बढ़ाने का निवेदन किया गया। जिसे श्री अनवर हुसैन द्वारा अनदेखा करते हुये करार समाप्त होने के पूर्व तथा उक्त भवन खाली होने से पूर्व बिना विज्ञप्ति जारी करे तथा बिना निष्पक्ष पारदर्शी प्रकिया अपनाये अध्यक्ष कमेटी श्री अनवर हुसैन द्वारा दिनांक 09.01.19 के पत्र मे उल्लेख किया है कि अंजुमन द्वारा बैंक परिसर की किरायेदारी किसी अन्य व्यक्ति से चर्चा कर एग्रीमेन्ट कर किया गया है।

जांच टीम द्वारा अध्यक्ष कमेटी से अपने मेमो दिनांक 22.02.19 द्वारा उपरोक्त एग्रीमेन्ट की प्रति चाही गई जो की उपलब्ध नही कराई इसके अतिरिक्त कैश बुक चैक करते समय यह पाया गया कि **भवन का बिना एग्रीमेन्ट किये रूपये 200000/– (दो लाख) का चैक क्रमांक 114603 दिनांक 01.01.19 का खाते मे जमा होना पाया गया** तथा रूपये 300000/–(तीन लाख) का चैक क्रमांक 114604 दिनांक 02.02.19 जो अंजुमन को प्राप्त हुआ था। परन्तु यह **चैक बाउंस** हो गया। इस प्रकार **श्री अनवर हुसैन का आचरण एवं निष्ठा संदिग्ध हो गई है** जो वक्फ हित मे नही और अनवर हुसैन द्वारा चेक देने वाले के खिलाफ कोई वैधानिक कार्यवाही नही की गई यह आचरण इनकी **निष्ठा पर संदेह उत्पन्न करता है।**

वक्फ शॉपिंग सेन्टर मढ़ाताल भवन महत्वपूर्ण लोकेशन पर स्थित है। जिसकी विधिवत विज्ञप्ति जारी की जाती तो अंजुमन को अनुमानतः 5000000/– (पचास लाख) प्रीमियम एवं वार्षिक किराया में नवीन वक्फ सम्पत्ति पटटा नियम 2014 के अनुरूप भारी वृद्धि होना संभावित थी। परन्तु अनवर हुसैन

अध्यक्ष द्वारा गुप चुप तरीके से किसी अन्य व्यक्ति से एग्रीमेन्ट किया गया है। इस एग्रीमेन्ट की प्रति भी कार्यालय मे उपलब्ध नही है। स्पष्ट है कि अनवर हुसैन ने नियम विरूद्ध मनमाना निर्णय लेकर वक्फ को गंभीर क्षति पहुंचाई है। इनका पद पद बना रहना वक्फ के लिये घातक है।

बिन्दु कमांक–3

वक्फ अंजुमन इस्लामिया श्री अनवर हुसैन अध्यक्ष द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर वक्फ दुकान/सम्पत्ति की नियम विरूद्ध अवैधानिक रूप से तीन वर्षों हेतु निम्न किरायेदारियां मनमाने तौर पर की गई है।

(i) **जिनका विवरण निम्नानुसार है:–**

अनुकमांक	दुकान कमांक	किरायेदार का नाम	किरायेदारी दिनांक से दिनांक तक	अवधि वर्षों मे
1	01GF	मनीष सेठ	01.07.18 से 30.06.2021	तीन वर्ष
2	44FF	विनीत जैन	01.06.18 से 31.05.2021	तीन वर्ष
3	22GF	खालिद बिन सरफराज़	05.03.16 से 04.03.2019	तीन वर्ष
4	94,95,110SF	इमाम उददीन अंसारी	01.07.16 से 30.06.2019	तीन वर्ष
5	20GF	सिराज उददीन अंसारी	01.02.17 से 31.01.2020	तीन वर्ष
6	04GF	विनीत कुमार जैन	01.07.18 से 30.06.2021	तीन वर्ष
7	07GF	मोहम्मद मसूद अहमद	01.05.16 से 30.04.2019	तीन वर्ष
8	50FF	अमित गुप्ता	01.07.17 से 30.06.2020	तीन वर्ष
9	42FF	रेहाना बैगम	01.04.17 से 31.03.2020	तीन वर्ष
10	84FF	विनीत जैन	01.03.18 से 28.02.2021	तीन वर्ष
11	62FF	श्रीमती लतीका अंजुम, मो. रकीब	01.04.17 से 31.03.2020	तीन वर्ष
12	40GF	राहुल जैन	01.01.19 से 31.12.2021	तीन वर्ष
13	27FF	श्री राजीव जैन	01.01.19 से 31.12.2021	तीन वर्ष
14	19GF	संजय कुमार जैन	01.01.19 से 31.12.2021	तीन वर्ष
15	82 सीहोरा	सुशील कुमार जैन	01.01.19 से 31.12.2021	तीन वर्ष

वक्फ अंजुमन इस्लामिया अध्यक्ष द्वारा उपरोक्त किरायेदारियॉ अनाधिकृत रूप से नियम विरूद्ध की गई है। वक्फ एक्ट 1995 संशोधित 2013 की धारा 56, उप धारा (2) के अंतर्गत किसी अचल सम्पत्ति जो वक्फ सम्पत्ति है को एक वर्ष से अधिक अवधि पर पट्टे अथवा उपपट्टे पर दिया जाना शून्य होगा एवं कोई प्रभाव नही रखेगा जब तक कि इसे बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा से नही किया जाता। श्री अनवर हुसैन द्वारा उपरोक्त किरायेदारियों में बोर्ड की अनुमति प्राप्त किये बिना 3 वर्षों की किरायेदारी की गई है जो नियम विरूद्ध होकर शून्यवत (Null & Void) है।

(ii) इसके अतिरिक्त श्री अनवर हुसैन द्वारा **शॉपिंग प्लाज़ा अंधेर देव की 12 दुकानों** की किरायेदारियॉ ट्रॉसफर की गई है तथा शॉपिंग सेन्टर श्रीनाथ की तलैया की 4 किरायेदारियॉ ट्रॉसफर की गई है शॉपिंग काम्पलेक्स सीहोरा की 1 किरायेदारी ट्रॉसफर की गई है। इन किरायेदारियों के परिवर्तन मे वक्फ सम्पत्ति पटटा नियम 2014 का (4,5,6,7) खुला उल्लंघन किया।

(iii) श्री अनवर हुसैन अध्यक्ष द्वारा अंजुमन इस्लामिया **शॉपिंग सेन्टर क्रमांक 1 एवं मालवीय चौक मढ़ाताल** के किरायेदारों से किराया जमा कराने में वक्फ बोर्ड के आदेश की अवहेलना कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुये मनमाने ढंग से वक्फ अंजुमन के कोष को करोड़ों आर्थिक हानि पहुचाई गई है।

विवरण निम्नानुसार है:–

वक्फ अंजुमन शापिंग काम्प्लेक्स क्रमांक 2, एवं स्वर्गीय श्रीनाथ की तलैया के किरायेदारों पर वर्ष 2010 से किराया बाकी था। विगत 8 वर्षो से कमेटियों ने किराया वसूल नही किया। पूर्व कार्यपालन अधिकारी जे. रहमान द्वारा तथा वक्फ बोर्ड की उपस्थिति मे बकाया किरायेदारों की बैठक अंजुमन कार्यालय मे दिनांक 20.06.2018 को रखी गई। वक्फ बोर्ड एवं किरायेदारों के मध्य निम्न आशय का समझोता सम्पन्न हुआ था। किरायेदारों के बीच बकाया सूची अनुसार यह समझोता हुआ "कि किरायेदार किराया प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ भुगतान करेंगे तथा वर्ष 2012 से उक्त किराये को दुगना का कर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ दो किस्तों मे राशि अंजुमन कार्यालय मे जमा करेंगे।" परन्तु अंजुमन अध्यक्ष श्री अनवर हुसैन द्वारा 10 प्रतिशत वृद्धि के बजाये 5 प्रतिशत करते हुये किरायेदारों से किराये के रूप मे **रूपये 14,85,2054/– बिना एग्रीमेन्ट के वसूल कर वक्फ को रूपये 1,02,98000/–(एक करोड़ दो लाख अंठानवे हज़ार) की आर्थिक हानि पहुंचाई गई।**

वक्फ बोर्ड ने अंजुमन मीटिंग जबलपुर को लिखित में आदेश दिये थे कि किसी भी किरायेदार से दस प्रतिशत से कम में किरायेदारी नहीं की जाये। परन्तु श्री अनवर द्वारा उपरोक्त आदेश की अवहेलना कर वक्फ अंजुमन इस्लामिया में पांच प्रतिशत की दर से किराया जमा कराया गया जिससे वक्फ कोष को रूपये 1,02,98000/–(एक करोड़ दो लाख अंठानवे हज़ार) हानि हुई। यह गंभीर किस्म की आर्थिक नुकसान अनवर हुसैन द्वारा वक्फ को पहुंचाया गया।

(iv) वक्फ अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल सीहोरा की बिल्डिंग जिसका खसरा क्रमांक 1320/1 रकबा 0.177 हेक्टेयर है। श्री प्यारे साहब पूर्व कमेटी अध्यक्ष द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015–16 बंद कर दिया गया एवं स्कूल बिल्डिंग को सीहोरा निवासी नियाज़ अली आत्मज अयाजुल हसन को दिनांक 01.05.2017 से 31.03.2018 तक 11 माह की अवधि के लिये रूपये 25000/– (पच्चीस हजार)मासिक किराये पर दिया गया तथा सेक्यूरिटी राशि रूपये 100000/–(एक लाख) चैक द्वारा जमा कराया गया।

किरायेदार नियाज़ अली आत्मज अयाजुल हसन की किरायेदारी दिनांक 31.03.2018 को समाप्त हो चुकी थी। किराया 2.00 लाख रूपये बाकी था। फिर किरायेदार द्वारा किराया भुगतान न करने पर पूर्व कार्यपालन अधिकारी जिल्लुर्रहमान द्वारा स्कूल बिल्डिंग मे ताला लगा दिया गया। परन्तु किरायेदार द्वारा ताला तोड़ दिया गया जिस पर कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.05.2018 को घटना की थाना सीहोरा मे एफ.आई.आर दर्ज कराई गई। कार्यवाही जांच दिनांक तक पेंडिंग है। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष श्री अनवर हुसैन द्वारा न तो किरायेदार से किराया वसूल किया गया न ही स्कूल बिल्डिंग खाली कराई गई। किरायेदार अभी भी बिल्डिंग अवैध रूप से काबिज़ है। यह कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता से अध्यक्ष कमेटी द्वारा किरायेदार को जांच बूझकर कर फायदा पहुंचाया जा रहा है जो वक्फ हित मे नही है। जिससे वक्फ कोष को आर्थिक हानि हो रही है।

बिन्दु कमांक–4

वक्फ अंजुमन इस्लामिया की सम्पत्ति/दुकान स्थित शॉपिंग सेंटर मे म.प्र.वक्फ बोर्ड कार्यालय मे धारा 54 की अतिक्रमण के प्रकरण लंबित होने के पश्चात भी षड़यंत्रपूर्वक बिना बोर्ड की जानकारी एवं अनुमति इनकी किरायेदारियां कर दी गई। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	धारा 54 में प्रचलित प्रकरण कमांक	अतिक्रमण कर्ता का नाम	दुकान नंबर	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	132/2018	रौनक खर्द	5,शापिंग सेन्टर	धारा 54 वक्फ बोर्ड मे प्रकरण विचाराधीन है
2	133/2018	मनीष जैन	9,शापिंग सेन्टर	धारा 54 वक्फ बोर्ड मे प्रकरण विचाराधीन है
3	135/2018	प्रदीप कुमान जैन	93,शापिंग सेन्टर	धारा 54 वक्फ बोर्ड मे प्रकरण विचाराधीन है

उपरोक्त वक्फ सम्पत्ति के प्रकरण म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल में वक्फ एक्ट 1995 कह धारा 54 के अंतर्गत लंबित होकर विचारधीन है। वक्फ अंजुमन कमेटी अध्यक्ष श्री अनवर हुसैन द्वारा अनाधिकृत रूप से किरायेदारी की गई है। जो विधि विरूद्ध होकर अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस किरायेदारी मे वक्फ को गंभीर हानि पहुंचाई गई।

उपरोक्तानुसार सभी किरायेदारी मामलों मे जांच का निष्कर्ष यह है किः–

1 श्री अनवर हुसैन अध्यक्ष वक्फ अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल जबलपुर द्वारा भूमि का पटटा किरायेदारी स्थाई उददेश्य मकान/दुकानात के लिये की गई है।

2 वकफ अधिनियम 1995 की धारा 51 के अनुसार बोर्ड के अनुज्ञा के बिना अचल वक्फ सम्पत्ति का पटटा किरायेदारी शून्य होगी। इस धारा 52 के अंतर्गत कोई भी अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता मे संज्ञेय एवं गैरजमानती होगी।

3 वक्फ सम्पत्ति पटटा नियम 2014 के अनुसार एक वर्ष से कम पटटा लघु अवधि के बारे मे मुतवल्ली एक वर्ष से कम अवधि हेतु पटटा दे सकेगा लेकिन नियम 4(2) के अनुसार मुतवल्ली उप नियम(1) के अधीन पटटे पर सम्पत्ति लेने के लिये इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस प्रकाशित कर के उसका पम्पलेट विस्तृत कर के या ढोल बजा कर या सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चस्पा कर के आवेदन आमंत्रित करेगा।

- नियम 4 (3) उच्चतर किराया पटटे का संज्ञेय करने की प्रस्थापाना कर रहे किसी व्यक्ति के पक्ष मे पटटा निष्पादन करेगा।
- नियम 5 के अनुसार वक्फ सम्पत्ति एक वर्ष से अधिक दी जाना अपेक्षित है स्थानी समाचार पत्र मे प्रकाशित करेगा।
- नियम 6 के अनुसार – पटटे के लिये बोली का आमंत्रण– बोलियां उन सभी मामलों में आमंत्रित की जायेगी जिनमें पटटे पर दी गई सम्पत्ति से किराये की आय प्रति माह 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) से अधिक हो।

- इसी प्रकार नियम 7 – के अनुसार पटटे के लिये प्रति वर्गफिट आरक्षण कीमत सम्पत्ति के बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत वार्षिक से कम नही होगी।

श्री अनवर हुसैन वक्फ अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल जबलपुर उपरोक्त सभी किरायेदारी पटटे नियम मकान/दुकान स्थाई स्वरूप के निर्माण एवं उददेश्यों के लिये गुप चुप तरीके से दी है। कोई निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया नही अपनाई गई। अस्थाई पटटे पर स्थाई संरचना की अनुमति देना उचित नही है। इस प्रकार विधि विरूद्ध कृत्य किये जाकर वक्फ को गंभीर क्षति पहुंचाई गई।

बिन्दु कमांक–5

वक्फ अंजुमन इस्लामिया की बिल्डिंग इंग्लिश मीडियम/हिन्दी मीडियम भवन की पुताई हेतु **1,77,000/– (एक लाख सत्ततर हज़ार)** श्री रिज़वान खान नाम के ठेकेदार को भुगतान किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त पुताई का सामान फैजान ट्रेडर्स से खरीदा गया जिसका भुगतान **1,43,635/–(एक लाख तिर्तालिस हजार छ सौ पेतीस)** किया गया।

पुताई हेतु दैनिक समाचार पत्र मे टेण्डर हेतु विज्ञप्ति जारी नही की गई है बल्कि कम्प्यूटर से सादा कागज पर सूचना दिनांक 15.10.18 को चस्पा किया जाना बताया है। जो टेण्डर प्राप्त किये गये वह इस प्रकार है।

(1) मेसर्स कान्ट्रेक्टर, (2) रिमशा पेंटिंग वर्क्स, (3) रिजवान खान, किसी भी ठेकेदार का पंजीयन न. अंकित होना नही पाया गया। जो सामग्री क्रय की गई है उसके कोटेशन लिये जाना नही पाया गया। इस प्रकार नियम का पालन नही किया गया वक्फ को आर्थिक हानि पहुंचाई गई है। सम्पूर्ण कार्यवाही संदिग्ध कूटरचित प्रतीत होती है।

बिन्दु कमांक–6

वक्फ अंजुमन इस्लामिया जबलपुर की वर्तमान कमेटी द्वारा दिनांक 18.09.2018 को स्थापना दिवस मनाया गया जिस पर 1,14,594/–(एक लाख चौदह हजार पांचसौ चौरानवे) रूपये वक्फ फण्ड से व्यय किये जाना पाया गया। उक्त राशि बिल्डिंग की साज सज्जा एवं खाने पर व्यय की गई है जिसका भुगतान नियमानुसार नही किया गया एवं वक्फ को अनावश्यक आर्थिक हानि पहुंचाई गई है। इस प्रकार स्थापना जश्न समारोह के नाम वक्फ कोष से व्यय किया जाना वक्फ के उददेश्य के विपरीत होकर गंभीर वित्तीय हानि पहुंचाई यह वसूली योग्य है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 50 के अंतर्गत प्रत्येक मुतवल्ली का यह कर्तव्य होगा कि:–

(क) बोर्ड के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना, इस अधिनियम के प्रावधान अथवा इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियम के अनुसार।

(ख) बोर्ड द्वारा चाहे गये इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अंतर्गत निर्मित किसी नियम अथवा आदेश के अनुसार ऐसे विवरण प्रस्तुत करना एवं ऐसी जानकारी अथवा विवरण प्रदान करना जिसकी समय–समय पर अपेक्षा की जाये।

परन्तु आपके द्वारा वक्फ बोर्ड की ओर से नियुक्त जांच दल को अभिलेख उपलब्ध कराने तथा व्यवधान एवं बाधायें उत्पन्न की। जिसके फलस्वरूप जिला प्रशासन को पत्र दिनांक 21.02.2019 प्रेषित करना पड़ा। आपके द्वारा मुतवल्ली के कर्तव्य की अवहेलना की गई।

बोर्ड को यह संतुष्टि हो गई है कि वक्फ अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल जबलपुर उचित एवं संतोषप्रद ढंग से काम नही कर रही हैं। वक्फ का गलत प्रबंधन किया जा रहा है। **उपरोक्त प्रकरण में वक्फ को जितनी भी वित्तीय हानि हुई है वह श्री अनवर हुसैन अध्यक्ष कमेटी से वसूली योग्य है।**

अतः इस नोटिस के ज़रिये आपको सूचित कियाजात है क्यों न आपकी प्रबंध कमेटी वक्फ अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल जबलपुर को अतिष्ठित किया जावे। आप अपना उत्तर सूचना प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें, समयावधि में समाधान कारक उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि आप लोगों को इस संबंध मे कुछ नही कहना एक पक्षीय निर्णय लिया जावेगा।

(मान.प्रशासक महोदय द्वारा अनुमोदित)

26.2.19

(मोहम्मद अहमद खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल

प्रतिलिपि :

S.Post. 1 कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर को सूचनार्थ।
S.Post. 2 कलेक्टर जिला जबलपुर को सूचनार्थ।
S.Post. 3 पुलिस अधीक्षक जिला जबलपुर को सूचनार्थ।
S.Post. 4 थाना प्रभारी थाना मढ़ाताल जबलपुर को सूचनार्थ।
S.Post. 5 कार्यपालक अधिकारी वक्फ अंजुमन इस्लामिया मढाताल जबलपुर को सूचनार्थ।

26.2.19

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल